705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 705वीं बैठक दिनांक 27/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9898/2023 Shri Devendra Shivhare, Owner, M/s PD MINERALS PRIVATE LIMITED, Indra Nagar, Kabrai, District- Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 4.80 ha. (101204 Tonne per annum) (Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2,720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil- Nainpur, District-Mandla (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित डोलोमाइट खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ई.आई.ए. का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनूप गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Owner, M/s PD MINERALS PRIVATE LIMITED, Indra Nagar, Kabrai, District- Mahoba (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2,708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.8 hectare.
स्थल	ग्राम MUGDARA तसहील Nainpur जिला Mandla (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 07/01/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 624 दिनांक 06/06/23 के द्वारा उत्पादन क्षमता डोलोमाईट–1,01,204 Tons per Annum के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट–1,01,204 Tons per Annum (38,190 Cubic meter/ Annum) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाईट–1,01,204 Tons per Annum (TPA) है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 279 दिनांक 22/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.11 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 279 दिनांक 22/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन स्थित नहीं है और आवेदित स्थल से 04.80 कि.मी. की दूररी पर जैव विविधता क्षेत्र स्थित है । आवेदित क्षेत्र क्रमांक 702 से 250 मीटर से कम दूरी पर होने के फलस्वरूप कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर की बैठक दिनांक 28/12/21 में वन मण्डलाधिकारी, मण्डला एवं कलेक्टर, मण्डला से चर्चा उपरांत वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र की ओर चैनलिंग करने की शर्त पर सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 279 दिनांक 22/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 19/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 22 पेड है जिनमें से 17 पेड काटे जाने प्रस्तावित है, जिनमें से 05 जो बेरियर जोन में स्थित है उनको संरक्षित किया जावेगा।

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 22 मी. पर एवं दक्षिण दिशा में लगभग 55 मी. साईट ऑफिस है, कोई आबादी नहीं है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड – लगभग 108 मी. एवं लगभग 200 मी. पर एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा –पूर्व दिशा में लगभग 55 मी. पर पैकिंग प्लांट है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–42 के सरल क्रमांक–44 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य शिविर, जल छिडकाव, पेयजल कर समस्या, आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने विभिन्न खसरो का परिक्षण किया गया एवं उनकी रजिस्ट्री होना पाया गया, परन्तु जन सुनवाई के बिन्दु में सुश्री वंदना कुशवाहा द्वारा बताया गया कि यह उनकी भूमि है एवं उनके द्वारा सिविल वाद दायर किया गया है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. लीज स्वीकृति आर्डर में दर्शायें गये विभिन्न खसरे एवं उनका क्षेत्रफल एवं रजिस्ट्री दिनांक की जानकारी तालिका में दर्शातें हुये प्रस्तुत करें।
2. खदान क्षेत्र में पूर्व दिशा में पक्का रोड – लगभग 108 मी. एवं लगभग 200 मी. की दूरी पर स्थित है अतः दूरी के संबंध में एन.जी.टी./सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
3. स्पष्ट करें कि दूरी के संबंध में स्थानवार मापदण्ड छोडने के पश्चात खदान क्षेत्र में स्थित 22 पेड में से कितने पेड काटे जायेगें एवं कितने पेड संरक्षित किये जावेगें।
4. खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल।
5. आवेदित क्षेत्र, वन सीमा से 250 मीटर से कम दूरी पर होने के कारण चेनलिंग फेन्सिंग का प्रस्ताव ई.एम.पी में प्रस्तुत करें।
6. रिवाईस्ड प्लान्टेशन स्कीम प्रस्तुत करें।

2. <u>Case No 9684/2023 Shri Jitendra Kushwaha, R/o 541, Adarsh Colony, Ram Manohar Lohiya Ward, Murwara, Katni (MP)- 483501, Prior Environment Clearance for Jamuwani Kala Limestone Block – 1,11,762.56 in an area of 24.85 ha. (Khasra No. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818), village - Jamuwani Kala, Tehsil - Vijayraghogarh, District - Katni (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित लाइमस्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ई.आई.ए. का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि Shri Gourav KUSHWAHA एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri JITENDRA KUSHWAHA, Applicant, 541, Adarsh Colony, Ram Manohar Lohiya Ward, Murwara, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818 (निजी/सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	24.85 hectare.
स्थल	Village - Jamuwani Kala, Tehsil - Vijayraghogarh, District – Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/2439/130/2022/12–2 दिनांक 18/05/2022 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को अनुशंसित सिया को प्रेषित, जिसके सिया के पत्र क्रमांक 139 दिनांक 18/04/23 के द्वारा उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन–1,11,762.56 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईमस्टोन–1,11,762.56 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लाईमस्टोन–1,11,762.56 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 95 दिनांक 23/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 67.22 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 95 दिनांक 23/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 95 दिनांक 23/02/23 अनुसार आवेदित खसरा नं. के अंश भाग से चालू कच्चा रास्ता एवं 400 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जमुवानीकलां जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 23/11/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान के बीच में कुछ भाग खनन के लिये प्रतिबंधित है (खसरा क्रमांक 805 लगभग 2.5 हे.) जो कि राजस्व भूमि है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, रोजगार, सडक व नाली का निर्माण, पानी का छिडकाव, धुल की समस्या, समाजिक कार्यो में सहयोग, आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि लीज क्षेत्र का लेण्ड यूस वेस्ट लेण्ड है। समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र के जिन खसरो के जो प्राईवेट भू–स्वामी है उनकी उपस्थिति जन सुनवाई के दौरान नहीं पाई गई।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. निजी भू–स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए फेयरडील के आधार पर किया जाये । खदान के बीच में कुछ भाग खनन के लिये प्रतिबंधित है जो कि राजस्व भूमि है (खसरा क्रमांक 805 लगभग 2.5 हे.) अतः सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर इस भाग में सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करगें।
2. लीज क्षेत्र में खसरे के साथ निजी भूमि एवं शासकीय भूमि दर्शातें हुये कलरफुल मेप प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल हेतु ट्री इन्वेंटरी प्रस्तुत की जावे।
4. परियोजना प्रस्तावक 29,000 पौधे रोपण की स्कीम 03 वर्ष में करने का प्रस्ताव (70 घन से.मी. का गढ्ढा 03 रो के साथ) प्रस्तुत करें।
5. वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित स्थल एंव परिवहन मार्ग मे कितनी लंबाई तक कितने पौधे (संख्या) कब–कब लगेगे। इस संबंध में बजट का प्रावधान नही किया गया है।
6. निजी भूमि में प्रस्तावित पौधारोपण हेतु भूस्वामी की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराये जावे, कृषको के द्वारा मांग के अनुसार पौधो का वितरण भू–प्रवेश के बाद करने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाये ।
7. इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान क्षेत्र में रोजगार, सडक व नाली का निर्माण, पानी का छिडकाव, समाजिक कार्यो में सहयोग,स्कूल में अद्यौसंरचना विकास, जमुवानी कला गांव के वेलनेस सेन्टर के रोगी कल्याण समिति के खाते में समिति द्वारा सुझाये अनुसार 02 लाख रूपये खाते में जमा कराने का प्रस्ताव आदि इन बिंदुओ ई.एम.पी/सी.ई.आर में शामिल कर पुर्नरक्षित ई.एम.पी/सी.ई.आर प्रस्तुत की जाये ।

3. <u>Case No 10747/2023 Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited, Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects. B-2.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP).

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP's Authorizes representative Shri Sanjay Goyal.
On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited,

		Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.) (Khasra No.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [447440] ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
2.	**Description of Project**	Oyster Reality Private Limited is proposing a Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" at Block No. 08 Manorama Ganj,Village Palasyahana, Tehsil and District Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 46378.45 m2.
3.	**Area details as per Form -1**	Total Plot Area : 10238.80 m2 Total Built up Area –46378.45m2 Area under Road widening – 1153.60 m2 Net Planning Area – 9085.20 m2 Greenbelt area – 913 m2 Open Parking –21 Nos. Stilt Parking- 94 Nos Basement Parking- 136 Nos. Mezzanine Parking-60 Nos. Project Cost - 60 Crore
4.	**Project Proposal**	New.
5.	COMMITMENT	Undertaking Date:21.10.2023 I hereby Declare that the existing construction are present at the site, we are committed that which will be dismantled before the starting of construction of Commercial Cum Residential High Rise Apartment Project "Oyster Vista" at Manoramagunj, Indore.
6.	**Project Cost**	6000 Lakhs.
7.	**Undertaking No Construction start at site**	PP Submit undertaking affidavit dated 23/09/2023.
8.	**Lat./Log. As per Form -1**	A 22°43'18.24"N 75°53'9.18"E, B 22°43'16.55"N 75°53'12.99"E C 22°43'14.19"N 75°53'11.64"E, D 22°43'15.79"N 75°53'7.71"E
9.	**NBWL Application**	No
10.	**Building Permission**	Letter No. – 0152/4616/2023 dated 19/09/2023.
11.	**T& CP Permission**	Letter dated 17/11/2022. Copy uploaded on Parivesh Portal.
12.	Extra Treated Water	Total waste water generation is 79.202 KLD.
13.	**Water NOC**	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
14.	**MSW NOC**	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
15.	**Fire NOC**	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
16.	Municipal Solid Waste	150.1 TPA.
17.	STP capacity	90 KLD.

18.	**DG set details**	2 X 200 KVA.
19.	Parking details	227 ECS.
20.	**Env. Consultant**	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

During presemntation PP submitted that some structrures are existing within the project area actually they are old bunglows which shall be proposed for demolished, for permission a letter has been written to Nagar Nigam, Indore .

After presentation the committee asked to submit following details:

1. Re-calculate occupancy and floating population in project area .
2. Submit sun-path study details.
3. PP commitment that STP treated water shall be utilized in the car washing and gardening purposes etc.
4. PP commitment that possibility of green area enhancement from 10% to 12%.
5. Submit revised CER study as suggested by committee which shall include CER work as-
    - In the local ITI, training of sanitary pad manufacturing at adjeacent village's SHG and equippwed them manufacturing machine.
    - At Naharjhabua village- infrastructure development, and ambulance distribution in the local PHC, Bore well, of the Naharjhabua, veterinary camps and agriculture improvement practices.
    - Aganwadi infrastructure development at Bhartiya village.

4. <u>Case No 10748/2023 Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Malikhedi in an area of 18.806 ha. (33113.06 sq.m.) (Khasra No. 115/2/1/1, 126, 128/1/1, 171), Village-Malikhedi, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). Cat. 8(a) Building Construction Projects FoR- Violation TOR.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Malikhedi in an area of 18.806 ha. (33113.06 sq.m.) (Khasra No. 115/2/1/1, 126, 128/1/1, 171), Village-Malikhedi, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

The case was presented by Env Consultant SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal M.P and PP's Authorizes representative Shri Santosh Gupta.

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/444849/2023
2.	**Project Name**	Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Malikhedi in an area of 18.806 ha. (33113.06 sq.m.) (Khasra No. 115/2/1/1, 126, 128/1/1, 171), Village-Malikhedi, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [444849] **FoR- Violation Project.** ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
3.	**Description of Project**	This is a residential building construction project under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).
4.	**Area details as per Form -1**	The land use of the proposed project is as under:- **Total land area- 188060 Sq. Mt. (18.8060 Hect.)** Built Up Area (FAR) 30380.08 Sq.mt. Built Up Area (Non-FAR) 2732.98 Sq.mt. **Total Built Up Area 33113.06 Sq.mt.** The project involves the construction of 50 Nos. MIG, 323 Nos. LIG units, 392 Nos. EWS units. The total maximum height of the project will be 12 Mts.
5.	**ToR Proposed for Violation Project**	Violation Project Construction Start – Year – 2018. (Proposed ToR for Violation submitted by PP).
6.	**Construction Status**	PP Submit details vide letter No. 535/HFA/BMC dated 15/09/23. • 90% Physical Progress. • 79% Finacial Progress.
7.	Validity of consent	Reference Number of Consent obtained from SPCB / UTPCC CTE-54614, Valid up to 09/11/2026.
8.	**Project Cost**	8475 Lakhs.
9.	**Lat./Log. As per Form -1**	77°26'48.19"E, 77°26'48.19"E
10.	**NBWL Application**	No
11.	**Building Permission**	Letter No. – 4712 dated 01/03/2019.
12.	**T& CP Permission**	Letter No. 214 dated 04/10/2021. Copy aploaded on Parivesh Portal.
13.	Extra Treated Water	Letter dated 17/11/2022. Copy aploaded on Parivesh Portal.
14.	**Water NOC**	Letter 362 dated 13/04/2023. Copy aploaded on Parivesh Portal.
15.	**MSW NOC**	Letter 590 dated 13/09/2023. Copy aploaded on Parivesh Portal.
16.	Municipal Solid Waste	1.276 TPA.
17.	STP capacity	Based on MBBR Technology.

18.	**Power Requirement/ DG set details**	**Power Requirement: Occupancy phase: Anticipated power requirement from MPSEB is 1242 KW.** **No DG set has been proposed in the project.**
19.	Parking details	92 ECS for EWS/ LIG/MIG –Individual.
20.	RWH Pits	20 RWH pits of 5 cum each recharge capacity.
21.	Tree Cutting	38 No. Permission letter No. 549 /Hort. Deptt. dated 04/12/2018.
22.	**Env. Consultant**	SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall

also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.

7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
24. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
25. Maximize proportion of green area.
26. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
27. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
28. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
29. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
30. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
31. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
32. परियोजना स्थल सिस्मिक जोन–।। के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
33. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
35. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

5. <u>Case No 10749/2023 Shri Sudama Chouksey, Lessee, R/o Dabali Raiyat, Tehsil-Khaknar, District-Burhanpur (MP)-450332, Prior Environment Clearance for Teliyathad Stone Quarry in an area of 1.850 ha. (Stone-6000, M-Sand-2000 cum per year) (Khasra No. 229), Village - Teliyathad, Tehsil- Khaknar, District- Burhanpur (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Sudama Chouksey, Online** एवं उनके पर्यावरणीय

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUDAMA CHOUKSEY, Lessee, R/o-Dabali Raiyat, Tehsil- Khaknar, District- Burhanpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	229 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.850 hectare.
स्थल	Village - Teliyathad, Tehsil- Khaknar, District- Burhanpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 944 दिनांक 26/09/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–6,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–6,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–2,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तेलियाथड़ जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 18/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- No	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में एक ग्रामीण पक्का रोड लगभग 145 मी.की दूरी पर है, परन्तु ग्रामीण पक्की रोड के परिप्रेक्ष्य में 200 मी. तक कोई भी माईनिंग कार्य नहीं किया जायेगा तथा उत्तर दिशा में दिशा में एक नाला लगभग 70 व 60 मी.की दूरी पर है, लगभग 145 मी.की दूरी पर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04/10/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में एक ग्रामीण पक्का रोड लगभग 145 मी.की दूरी पर है, परन्तु ग्रामीण पक्की रोड के परिप्रेक्ष्य में 200 मी. तक कोई भी माईनिंग कार्य नहीं किया जायेगा तथा उत्तर दिशा में दिशा में एक नाला लगभग 70 व 60 मी.की दूरी पर है, लगभग 145 मी.की दूरी पर है। अतः दूरी के संबंध में एन.जी.टी./सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।

6. <u>Case No 10750/2023 Shri Shivkumar Yadav, Lessee, R/o H.No. 1041, Ward No. 18, Sanjay Nagar, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP)-464337,, Prior Environment Clearance for Prior Environment Clearance for Badoh Flagstone Quarry in an area of 2.00 ha. (3060 cum per year) (Khasra No. 805/4), Village-Baroh, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (M.P.).</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri Shivkumar Yadav** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi **Online**, Director, AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri SHIVKUMAR YADAV, Lessee, H.No.1041,Word No.18 , Sanjay Nagar,

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Tehsil-Pathari, Vidisha (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	805/4 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village - Badoh, Tehsil - pathari, District - Vidisha (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 954 दिनांक 04/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन–3,060 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैग स्टोन–3,060 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बडोह जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree – Sum Trees Existed	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 120 मी.	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार जो की ऑनलाईन बैठक में जुडे थे, उनकी नेट कनेक्टिविटी में बार बार व्यवधान आने से वह प्रकरण को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण को सेक की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुतीकरण का एक अवसर प्रदान किया जाये।

7. <u>Case No 10751/2023 Shri Palash Vijay S/o Narendra Kumar Vijay, Lessee, R/o Ward No. 13, Nake No. 3, District-Rajgarh (MP)-465661, Prior Environment Clearance for Rugnathgarh Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Gitti-2579, M-Sand-4421 cum per year) (Khasra No. 1/1/2), Village-Rajgarh, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Palash Vijay S/o Narendra Kumar Vijay, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shri Ashish Tripathi **Online**, Director, AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Palash Vijay S/o Narendra Kumar Vijay, Lessee, R/o Ward No. 13, Nake No. 3, District-Rajgarh (MP)-465661, *Prior Environment Clearance for Rugnathgarh Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Gitti-2579, M-Sand-4421 cum per year) (Khasra No. 1/1/2), Village-Rajgarh, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP)* [447320].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1/1/2,	एरिया– 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– राजगढ़, तहसील – राजगढ़, जिला– राजगढ़ (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 505 दिनांक 03/07/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
जल/वायु सम्मति	**लागू नही।**	

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

नवीनीकरण	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Single row Controlled Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**
उत्पादन क्षमता	Gitti - 2579, M-Sand-4421 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार नहर–300 मी.,पक्का रास्ता – 200 मी. तथा सूखा नाला – 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– नेसड़ी जिला – राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 07 दिनांक 26/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .
	दक्षिण दिशा–
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा–
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजगढ़ के पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोडी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार जो की ऑनलाईन बैठक में जुडे थे, उनकी नेट कनेक्टिविटी में बार बार व्यवधान आने से वह प्रकरण को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण को सेक की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुतीकरण का एक अवसर प्रदान किया जाये।

8. <u>Case No 10758/2023 Shri Sumant Goswami, Partner, M/s Maa Sharda Minerals, R/o 22, Rai Colony, MPSEB Sub Station, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Majhgawan Laterite and Fireclay Mine in an area of 4.950 ha. (Laterite-40139 TPA, Fireclay-8952 TPA) (Khasra No. 312P), Village-Muhgawan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Sumant Goswami, Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUMANT GOSWAMI, Partner, M/s MAA SHARDA MINERALS, 22,RAI COLONY, MPSEB SUB STATION KATNI (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	312 P (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.950 hectare.
स्थल	Village –Majhgawan, Tehsil Badwara, Distt. Katni(M.P.).	
लीज स्वीकृति	अनुबंध दिनांक 17/08/2023ण	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 231 दिनांक 01/10/2018 के द्वारा लेटराईट–49,392 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite 40,139 TPA and Fireclay- 8,952 TPA आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite 40139 TPA and Fireclay- 8952 TPA.है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.55 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मझगवां जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 14/04/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–36 के सरल क्रमांक–27 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.

- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

9. <u>Case No 10759/2023 Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) .Cat. 8(a)Building Construction Projects FoR- Violation TOR..</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

The case was presented by Env Consultant SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal M.P and PP's Authorizes representative Shri Santosh Gupta.

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/444964/2023.
2.	**Project Name**	Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial –

		Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [445059] **FoR-Violation Project.** ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
3.	**Description of Project**	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Bhanpur by Municipal Corporation Bhopal (M.P.).
4.	**Area details as per Form -1**	1. Total Plot Area 49889.00 Sq.Mt. 2. Built up area 58215.72 Sq.Mt. 3. Heights 27 Mtr. (Max.) 4. Water Consumption 533 KLD 5. STP Capacity 480 KLD 6. Solid Waste Generation 1.566 TPD 7. Power Requirement 1817 KW 8. Power Backup Through DG Sets 450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA) 9. Connectivity Facilities Project site is adjacent to Ayodhya Bypass Road. 10. Community Facilities Shri L S Memorial H.S. School – 0.269 Km. People's Institute of Management & Research– 2.146 Km. 11. Parking Provided 1230 ECS parking provided (80 ECS Open + 1150 ECS Covered Parking).
5.	**ToR Proposed for Violation Project**	Violation Project Construction Start – 01/03/2019.. (Proposed ToR for Violation submitted by PP).
6.	**Construction Status**	PP Submit Affidavit dated 18/09/23. • 95% Physical Progress. • 05% Remaining Part after getting EC.
7.	Validity of consent	Reference Number of Consent obtained from SPCB / UTPCC CTE-137593, date 10-12-2021.
8.	**Project Cost**	8748 Lakhs.
9.	**Lat./Log. As per Form -1**	23°17'48.01"N, 77°26'1.90"E.
10.	**NBWL Application**	No.
11.	**Building Permission**	Letter No. – 4711 dated 01/03/2019.
12.	**T& CP Permission**	Letter No. 202 dated 04/10/2021. Copy aploaded on Parivesh Portal.
13.	**Water NOC**	Letter 364dated 13/04/2023. Copy aploaded on Parivesh Portal.
14.	**MSW NOC**	Letter 321 dated 1509/2021. Copy aploaded on Parivesh Portal.
15.	Municipal Solid Waste	1.566 TPA.
16.	STP capacity	Based on MBBR Technology.
17.	**Power Requirement/ DG set details**	450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA).
18.	Parking details	Parking Provided 1230 ECS parking provided (80 ECS Open + 1150 ECS Covered Parking).

19.	RWH Pits	10 RWH pits of 5 cum each recharge capacity.
20.	Tree Status	Total Tree -28 No., Tree Cutting – 11 No. Plantation – 200 No. Proposed.
21.	**Env. Consultant**	SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.

10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible

documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.

23. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
24. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
25. Maximize proportion of green area.
26. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
27. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
28. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
29. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
30. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
31. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
32. परियोजना स्थल सिस्मिक जोन–।। के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
33. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
35. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

10. <u>Case No 10760/2023 Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) FoR- Violation Project. Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

The case was presented by Env Consultant SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal M.P and PP's Authorizes representative Shri Santosh Gupta.

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details.
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/444964/2023.
2.	**Project Name**	Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Kokta in an area of 9.8429 ha. (178890.80 sq.m.) (Khasra No. 6/1), Village-Kokta, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [445059] **FoR-Violation Project.** ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
3.	**Description of Project**	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Bhanpur by Municipal Corporation Bhopal (M.P.).
4.	**Area details as per Form -1**	1. Total Plot Area 49889.00 Sq. Mt. 2. Built up area 58215.72 Sq. Mt. 3. Heights 27 Mtr. (Max.). 4. Water Consumption 533 KLD. 5. STP Capacity 480 KLD. 6. Solid Waste Generation 1.566 TPD. 7. Power Requirement 1817 KW. 8. Power Backup Through DG Sets 450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA). 9. Connectivity Facilities Project site is adjacent to Ayodhya Bypass Road. 10. Community Facilities Shri L S Memorial H.S. School – 0.269 Km. People's Institute of Management & Research– 2.146 Km. 11. Parking Provided 1230 ECS parking provided (80 ECS Open + 1150 ECS Covered Parking).
5.	**ToR Proposed for Violation Project**	Violation Project Construction Start – 01/03/2019.. (Proposed ToR for Violation submitted by PP).
6.	**Construction Status**	PP Submit Affidavit dated 18/09/23. • 95% Physical Progress. • 05% Remaining Part after getting EC.
7.	Validity of consent	Reference Number of Consent obtained from SPCB / UTPCC CTE-137593, date 10-12-2021.
8.	**Project Cost**	8748 Lakhs.
9.	**Lat./Log. As per Form -1**	23°17'48.01"N, 77°26'1.90"E.
10.	**NBWL Application**	No.
11.	**Building Permission**	Letter No. – 4711 dated 01/03/2019.
12.	**T& CP Permission**	Letter No. 202 dated 04/10/2021. Copy uploaded on Parivesh Portal.

13.	**Water NOC**	Letter 364dated 13/04/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
14.	**MSW NOC**	Letter 321 dated 1509/2021. Copy uploaded on Parivesh Portal.
15.	Municipal Solid Waste	1.566 TPA.
16.	STP capacity	Based on MBBR Technology.
17.	**Power Requirement/ DG set details**	450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA).
18.	Parking details	Parking Provided 1230 ECS parking provided (80 ECS Open + 1150 ECS Covered Parking).
19.	RWH Pits	10 RWH pits of 5 cum each recharge capacity.
20.	Tree Status	Total Tree -28 No., Tree Cutting – 11 No. Plantation – 200 No. Proposed.
21.	**Env. Consultant.**	SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction

5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
24. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
25. Maximize proportion of green area.
26. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
27. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
28. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
29. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
30. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
31. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
32. परियोजना स्थल सिस्मिक जोन–।। के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
33. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
35. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

11. <u>Case No 10761/2023 Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Hinotia Alam in an area of 6.41 ha. (51552.60 sq.m.) (Khasra No. 19, 457, 458), Village-Hinotiya Alam, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). Project. Cat. 8(a)Building Construction Projects. FoR- Violation TOR.</u>

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

This is case of Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Hinotia Alam in an area of 6.41 ha. (51552.60 sq.m.) (Khasra No. 19, 457, 458), Village-Hinotiya Alam, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

The case was presented by Env Consultant SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal M.P and PP's Authorizes representative Shri Santosh Gupta.

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details.
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/ 445209/2023.
2.	**Project Name**	Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential – Hinotia Alam in an area of 6.41 ha. (51552.60 sq.m.) (Khasra No. 19, 457, 458), Village-Hinotiya Alam, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [445209] **FoR- Violation Project.** ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
3.	**Description of Project**	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Hinotiya Alam, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).
4.	**Area details as per Form -1**	1. Total Plot Area 49889.00 Sq.Mt. 2. Built up area 58215.72 Sq.Mt. 3. Heights 27 Mtr. (Max.) 4. Water Consumption 533 KLD. 5. STP Capacity 480 KLD. 6. Solid Waste Generation 1.566 TPD. 7. Power Requirement 1817 KW. 8. Power Backup Through DG Sets 450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA).
5.	**ToR Proposed for Violation Project**	Violation Project Construction Start – 01/03/2019, (Proposed ToR for Violation submitted by PP).
6.	**Construction Status**	PP Submit Affidavit dated 18/09/23. • 95% Physical Progress. • 05% Remaining Part after getting EC.
7.	Validity of consent	Reference Number of Consent obtained from SPCB / UTPCC CTE-54613, date 09-11-2026
8.	**Project Cost**	8748 Lakhs.
9.	**Lat./Log. As per Form -1**	Coordinates 23°17'48.01"N, 77°26'1.90"E.
10.	**NBWL Application**	No.
11.	**Building Permission**	Letter No. – 369 dated 22/08/2022.

12.	**T& CP Permission**	Letter No. 184 dated 20/09/2021. Copy uploaded on Parivesh Portal.
13.	**Sewage disposal**	Letter 556 dated 15/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
14.	**Water NOC**	Letter 368 dated 14/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
15.	**MSW NOC**	Letter 295 dated 13/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
16.	**Fire NOC**	Letter dated 05/09/2019. Copy uploaded on Parivesh Portal.
17.	Municipal Solid Waste	1.566 TPA.
18.	STP capacity	80 KLD, Based on MBBR Technology.
19.	**Power Requirement/ DG set details**	450 KVA (3 X 50 KVA, 3 X 100 KVA).
20.	Parking details	1056 ECS.
21.	RWH Pits	10 RWH pits of 5 cum each recharge capacity.
22.	**Env. Consultant.**	SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction

5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
24. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
25. Maximize proportion of green area.
26. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
27. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
28. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
29. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
30. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
31. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
32. परियोजना स्थल सिस्मिक जोन–।। के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
33. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
35. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

12. <u>Case No 10762/2023 Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Ganga Nagar in an area of 3.4008 ha. (41598.96 sq.m.) (Khasra No. 89/1, 87/91/1, 333/92/1KH, 333/92/1GH), Village-</u>

Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects. FoR- Violation-TOR Project.

This is case of Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Ganga Nagar in an area of 3.4008 ha. (41598.96 sq.m.) (Khasra No. 89/1, 87/91/1, 333/92/1KH, 333/92/1GH), Village-Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

The case was presented by Env Consultant SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal M.P and PP's Authorizes representative Shri Santosh Gupta.

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details.
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/445503/2023
2.	**Project Name**	Shri Santosh Gupta, Suprintending Engineer (HFA), M/s Municipal Corporation Bhopal, III Floor, ISBT Bus Stand Hoshangabad Road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Ganga Nagar in an area of 3.4008 ha. (41598.96 sq.m.) (Khasra No. 89/1, 87/91/1, 333/92/1KH, 333/92/1GH), Village-Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [445503] ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.*** **FoR- Violation Project.**
3.	**Description of Project**	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) Residential & Commercial – Ganga Nagar by Municipal Corporation Bhopal.
4.	**Area details as per Form -1**	1. Total Plot Area 34008.00 Sq.Mt. 2. Built up area 41598.96 Sq.Mt. 3. Heights 30 Mtr. (Max.). 4. Water Consumption 414 KLD. 5. Solid Waste Generation 1.221 TPD. 6. Power Requirement 1317 KW. 7. Power Backup Through DG Sets 250 KVA (02 X 25 KVA, 2 X 50 KVA, 1 X 100 KVA).
5.	**ToR Proposed for Violation Project**	Proposed ToR for Violation submitted by PP.
6.	**Construction Status**	PP Submit Affidavit dated 18/09/23. • 58% Physical Progress. • 49% Finecial Progress.
7.	Validity of consent	Reference Number of Consent obtained from SPCB / UTPCC Consent No:CTE-54785 date 08-12-2021.

8.	**Project Cost**	1001 Lakhs.
9.	**Lat./Log. As per Form -1**	Coordinates 23°13'13.91"N, 77°23'41.55"E
10.	**NBWL Application**	No.
11.	**Building Permission**	Letter No. – 3149 dated 11/10/2018.
12.	**T& CP Permission**	Letter No. 211 dated 04/10/2021. Copy uploaded on Parivesh Portal.
13.	**Sewage disposal**	Letter 111 dated 25/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
14.	**Water NOC**	Letter 389 dated 26/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
15.	**MSW NOC**	Letter 92 dated 26/09/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
16.	**Fire NOC**	Letter 2649 dated 10/01/2019. Copy uploaded on Parivesh Portal.
17.	CSTP capacity	10 MLD, Oxidation Pond.
18.	**Power Requirement/ DG set details**	5 D.G sets of total capacity 250 KVA (02 X 25 KVA, 2 X 50 KVA, 1 X 100 KVA)
19.	Parking details	600 ECS.
20.	RWH Pits	10 RWH pits of 5 cum each recharge capacity.
21.	Tree Cutting Status	Permission letter No. 746 date 11/12/2017. Tree Cutting Proposed- 33 No.
22.	**Env. Consultant.**	SHRI AJAY MOHAN M/s IN SITU ENVIRO CARE Bhopal (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.

3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by

an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
24. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
25. Maximize proportion of green area.
26. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
27. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
28. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
29. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
30. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
31. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
32. परियोजना स्थल सिस्मिक जोन–।। के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
33. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
35. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

13. <u>Case No 10754/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amiliya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 1/601), Village-Amiliya, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager ए.एम.ओ दिवाकर चतुर्वेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amiliya Quarry in an area of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. 1/601), Village-Amiliya, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432095]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 1/601, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– अमिलिहा, तह.–मानपुर, जिला–उमरिया (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 756 दिनांक 26/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **<u>सोन</u>** में स्थित है।	
पूर्व ई.सी. स्थिति	प्रकरण में पूर्व ईसी सिया के माध्यम से 7389/2020 को जारी हुई थी।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.000 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

एनओसी	पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। *कार्यालय क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क्र0. 2387 दिनांक 20/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 9.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।*
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत झांपी जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 15/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र में नदी की पतली धारा निकल रहीं है एवं पश्चिम दिशा में लगभग 350 मी. दूरी पर एक रोड ब्रिज है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 76 सरल क्रमांक 10 में उल्लेखित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 72000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन पूर्व ई.सी की शर्तो का पालन नहीं किया है वह उन शर्तो का पालन एक माह में पूर्ण करना एवं नई शर्तो का पालन एक वर्ष में करना सुनिश्चित करें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.41 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.34 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय घियार के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	1,00,000
आंगनवाडी के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू - माह के भीतर 3 प्रवेश केअग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना	85,000

माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम अमलिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

14. <u>Case No 10763/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (51210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191]</u>

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager ए.एम.ओ दिवाकर चतुर्वेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (51,210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 15, एरिया – 2.845 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– मुडेहना, तह.–मानपुर, जिला–उमरिया (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. 756 दिनांक 26/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **डेंगराहा नाला** में स्थित है।	
पूर्व ई.सी. स्थिति	सिया से पुरानी ईसी कमांक 7126/2020	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 51,210** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 51,210** घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.845 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। *कार्यालय क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क0. 2392 दिनांक 20/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।*	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बड़वार जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 11/06/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 76 सरल क्रमांक 11 में उल्लेखित है।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि खदान क्षेत्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार क्वार्डिनेट दर्शाये गये है जिससे कि दर्शायी गई केएमएल की सही आकृति नही बनती । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से खदान क्षेत्र के अतिरिक्त क्वार्डिनेट प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के क्वार्डिनेट प्राप्त कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन कराते हुए । जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं अतिरिक्त क्वार्डिनेट पर आधारित केएमएल प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके ।

15. <u>Case No 10764/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Majhauli Sand Quarry in an area of 2.064 ha. (37152 cum per year) (Khasra No. 24/192), Village-Majhalui, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432189]</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, ए.एम.ओ दिवाकर चतुर्वेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Majhauli Sand Quarry in an area of 2.064 ha. (37,152 cum per year) (Khasra No. 24/192), Village-Majhalui, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432189].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 24/192, एरिया – 2.064 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– मझौली तह.–मानपुर, जिला–उमरिया (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 756 दिनांक 26/05/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है ।
पूर्व ई.सी. स्थिति	सिया से पुरानी ईसी क्रमांक 7395/2020.
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – **37,152** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – .....घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.064 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। *कार्यालय क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क्र0. 2391 दिनांक 20/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 0.28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।*
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बड़वार जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 11/06/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में लगभग 416 मी. पर एक पक्का रोड ब्रिज है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 76 सरल क्रमांक 09 में उल्लेखित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में लगभग 416 मी. पर एक पक्का रोड ब्रिज है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया एवं

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

कार्यालय–कार्यालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा के पत्र क्रमांक 1570 दिनांक 26/12/23 का पत्र प्रस्तुत किया ***जिसमें उल्लेख है कि सेंड माईनिंग गाईडलाइन वर्ष 2016 एवं 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुल एवं पहूंच मार्ग के 500 मी अप स्टीम एवं 500 मी डाउन स्टीम की दूरी में Sand & Gravel की खुदाई की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि पुल एवं पहूंच मार्ग के 500 मी अप स्टीम एवं 500 मी डाउन स्टीम की कम दूरी में रेत की खुदाई की जाती है तो पुल एवं पहूंच मार्ग के किसी भी प्रकार की क्षति होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ओर संबंधित की होगी।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 37152 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन पूर्व ई.सी की शर्तो का पालन नहीं किया है वह उन शर्तो का पालन एक माह में पूर्ण करना एवं नई शर्तो का पालन एक वर्ष में करना सुनिश्चित करें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.95 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिजौरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशिजमा कराई जाएगी		85,000

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2480 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	480

2	ग्राम मझौली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

16. Case No 10765/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Lonia Sand Mine in an area of 1.115 ha. (14985 cum per year) (Khasra No. 179), Village-Loniya, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023. को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि अनिल खण्डेलवाल, श्री नरेश भूमरकर, खनिज अधिकारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field) MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	179 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.115 hectare.

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

स्थल	Village- Lonia, Tehsil- Ghodadonghari, District- Betul, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 970 दिनांक 02/06/23 अनुसार ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
पूर्व ई.सी. स्थिति	सिया से पुरानी ईसी क्रमांक 9740/2023
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–14,985 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–14,985 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदन संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लोनिया जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 10/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–51. के सरल क्रमांक–01 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि अनिल खण्डेलवाल ने समिति को अवगत कराया कि खदान के परियोजना प्रस्तावक **Shri PRAMOD DHABAI** सेवानिवृत हो चुके है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–14,985 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.57 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू.01.58 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन पूर्व ई.सी की शर्तो का पालन नहीं किया है वह उन शर्तो का पालन एक माह में पूर्ण करना एवं नई शर्तो का पालन एक वर्ष में करना सुनिश्चित करें।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	15,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1338 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	838
2	ग्राम लोनिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस

थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

17. Case No 10766/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Revna Sand Quarry in an area of 2.15 ha. (8000 cum per year) (Khasra No. 1298/1), Village-Revna, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP).

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केल नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri BALVEER TOMAR** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1298/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.15 hectare.
स्थल	Village Revna, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (MP)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–8,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.30 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 1834 दिनांक 31/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवना जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 26/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–5 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान को पूर्व में प्रदत्त ई.सी के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे सके और ना ही ऐसा कोई तथ्य/ अभिलेख प्रस्तुत किया कि वहॉ रेत की की मात्रा उपलब्ध है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

18. Case No 10767/2023 Shri **DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकजिला कार्यालय(, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Jigni River Sand Quarry in an area of 4.75 ha. (34425 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jigni, Tehsil-Ajaigarh, District-Panna (MP).**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri **DAMMU RAIKWAR,** खनिज अधिकारी श्री रवि पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक)जिला कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.75 hectare.
स्थल	Village- Jigni, Tehsil- Ajaygarh, District- Panna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
पूर्व ई.सी. स्थिति	सिया से पुरानी ईसी क्रमांक 8280 / 2021	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–34,425 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–34,425 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 911 दिनांक 25 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 911 दिनांक 25 / 07 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 911 दिनांक 25 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिगनी जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 20 / 12 / 2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र अधिकांशः जलमग्न है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–75 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है ।

समिति ने परिक्षण के दोरान पाया कि खदान क्षेत्र अधिकांशः जलमग्न है। प्रकरण को सिया से पुरानी ईसी क्रमांक 8280/2021 जारी हुई थी जिसके अंतर्गत 71,221 घन मी. की अनुमति दी गई थी एवं पुरानी ई.सी के शर्त के अनुसार कुल 7,125 पौधे लगाने थे, सीईआर की गतिविधि भी नहीं की गई है। पुरानी ई.सी के शर्तो का कोई भी कम्पलाईन्स नहीं हुआ। खनन क्षेत्र अधिकांशः जलमग्न दिख रहा है अतः ऐसी स्थिति में विगत 03 वर्षे का या अप्रैल 2023 में जारी ई.सी के शर्तो के संबंध में किये गये कार्यो की जानकारी माईनिंग अफसर से लेकर प्रस्तुत करें।

19. <u>Case No 10768/2023 Shri Taqiul Rizvi, Owner, R/o Village-Ubhariya, Tehsil-Multai, District-Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Somlapur Stone Quarry in an area of 1.275 ha. (9800 cum per year) (Khasra No. 191/1, 219, 225/1), Village-Somlapur, Tehsil-Multai, District-Betul (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Taqiul Rizvi, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri TAQIUL HASAN RIZVI, Owner, R/o-Village-Ubhariya, Tehsil-Multai, District-Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	191/1, 219 & 225/1 (निजी भूमि–परियोजना प्रस्तावक स्वयं की है)	1.275 hectare.
स्थल	Village Somlapur, Tehsil Multai, District Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 856 दिनांक 07/07/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 128 दिनांक 30/06/2027 के द्वारा पत्थर–9800 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–9,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–9,800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र	

अन्य खदानें	क्रमांक 1632 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेथिया जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 06/10/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

20. <u>Case No 9650/2023 Shri Nitish Chaturvedi, Owner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur,Madhya Pradesh 471001. Prior Environment Clearance for Budore Stone & M-Sand Quarry in an area of 11.00 ha. (Production expansion 1.5 LTPA to 4 LTPA) (Stone–1,71,428 cum per year and M-Sand –1,14,285 cum per year) at (Khasra No. 1293), Village-Budor, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)</u>

प्रकरण क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हेतु समिति की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय की गई शर्तो का प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. ओवर वर्डन डम्पिंग का सर्फेस मेप में दर्शाकर प्रस्तुत करें।
3. खदान क्षेत्र के अन्दर से लगभग 15 से 20 स्थानों की स्वाइल प्रोफाइल जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।
4. खदान क्षेत्र के चारों ओर से फेंसिंग दर्शाते हुए जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।
5. सामाजिक आर्थिक कार्यो के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित कार्यो जैसे– रोड़, चारागाह विकास आदि गांव का नाम दर्शाते हुए जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।
6. खदान क्षेत्र में जहॉ स्वाईल न होने के कारण वृक्षारोपण संभव न हो वहॉ स्वाईल प्रोफाईल के साथ जिओ टेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करें तथा योग्य स्थानों पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 27/12/23 को रखा गया । समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाल सिंह एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, M/s Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि उक्त प्रकरण को सिया से केस न. 563/2010 दिनांक 12/11/2013 ईसी जारी हुई थी। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक को अंतरण हुई है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय की गई शर्तो का प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन देखा गया।

- खदान के चारों ओर गारलेण्ड ड्रेन देखी गई।
- सीएसआर कार्य के अंतर्गत रोड की मरम्मत कार्य देखा गया।
- ईसी की शर्त क्रमांक 7 व 8 में ग्रीन बेल्ट चारो तरफ होना नहीं पाया गया। परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में 13 फोटोग्राफ दिखाये गये जिसे देखने पर पता नहीं चलता है कि खदान के चारों तरफ फेन्सिंग की गई है अतः इन शर्तो का पालन किनके द्वारा किया जायेगा इस संबंध में सिया द्वारा निर्णय लिया जाये। चूकि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक को अंतरण हुई है अतः समिति ने निर्देश दिये कि नवीन परियोजना प्रस्तावक वचन पत्र देगें कि जितनी फेन्सिंग शेष बची है वह कार्य 03 माह में पूर्ण करेगें।
- पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार 5000 पेड लगााने थे जिसमें से मात्र 1500 पेड लगाये है लगभग 3500 पेड ओर लगायें जाना प्रस्तावित है। नवीन परियोजना प्रस्तावक वचन पत्र देगें कि जितनी फेन्सिंग शेष बची है वह कार्य 03 माह में पूर्ण करेगें ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर स्थापना के संबंध में जवाब संतोषजनक नहीं है, वह इस बात का भी शपथ पत्र देगें कि क्रशर को खदान क्षेत्र के किस भाग में स्थापित करेगें।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रकरण में विचार किया जावेगा।

21. Case No 10861/2023 M/s Shri Balaji Infra Buildcon, Lessee, R/o House A-1, Panchwati Colony, District-Bhopal (MP)-462030, Prior Environment Clearance for Nogaon Stone Mine in an area of 2.71 ha. (Stone-83000, M-sand-8200 cum per year) (Khasra No. 566, 576/3/2), Village-Naugaon, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री गरिमा श्रीवास्तव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	M/s Shri Balaji Infra Buildcon, Proprietor, House A 1 Panchwati Colony Dist Bhopal (M.P.)

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	566, 576/3/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.710 hectare.
स्थल	Village -Nogaon, Tehsil &, District- Ujjian, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 6075 दिनांक 21/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–83,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–8,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–83,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–8,200 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10062 दिनांक 25/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है। पूर्व में एक अन्य अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत थी ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10062 दिनांक 25/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10062 दिनांक 25/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नौगांवा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–	
	दक्षिण दिशा– पक्का रोड लगभग 393 मी. एवं रेल्वे लाईन लगभग 400 मी.	
	पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 199 मी.	
	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड लगभग 164 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10062 दिनांक 25/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।	

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर लेवल 40 से 50 मी. नीचे है एवं खदान में प्रस्तावित गहराई 35 मी. तक है, प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने लिखित शपथ पत्र दिनांक 27/12/2023 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जिनके द्वारा 30 मी. से अधिक की गहराई में खनन कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपना वचन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण एवं अवलोकित तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा प्रकरण को 30 मी. से अधिक गहराई में खनन कार्य नहीं करने की शर्त के साथ पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–83,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–8,200 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन कार्य 30 मी. से अधिक गहराई तक प्रतिबंधित रहेगा।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.79 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 06.98 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम नौगवां के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा ।	रू 80,000/–
ग्राम नौगवां के आगनबाड़ी केंद्र के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	रू 80,000/–

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3300 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम,अमरूद,बेल, जामुन एवं अन्य फलदार मुनगा स्थानीय प्रजातियॉ,	1000
2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	400
3	नोगांवा, हंसखेद ग्रामवासी में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, सीताफल, मुनगा, अमरूद।	1870
4	शासकीय हाईस्कूल नोगांवा, में	कचनार,पुत्रंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	30
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

22. <u>Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि डी.एस.आर में विगत 3 वर्षो में रेत खनन की जानकारी के संबंध में लेख है कि खनन योजना के अनुसार 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो उनके अनुसार मई–जून की स्थिति में पानी कम होने पर उत्पादन योग्य है।
- मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन के संबंध में निर्धारण पत्रक संलग्न किया है, जिसके अनुसार विगत 3 वर्षो में यहां से कोई खनन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।

- गूगल इमेज के अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः इस खदान से रेत खनन संभव नही है।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (मेलपिपल्या) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज मे लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः शिकायत सही प्रतित होती है।

अनुशंसा– नदी सूखी होने के संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रेत उपलब्धता के संबंध में विश्वस्नीय प्रमाणों के अभाव में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 27/12/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, ऑनलाईन मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म, म.प्र. इंदौर के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 24/11/2023 के द्वारा ग्राम मेलपिपल्या एवं ग्राम भांजाखेडी–1, तह. खातेगांव का 24/11/2023 को स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा खदान के संबंध में प्राप्त श्री प्रमोद यादव की शिकायत का भी संज्ञान लिया गया इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज का समिति द्वारा अवलोकन किया गया जिसकें परिक्षण उपरांत पाया कि मार्च 2022 में खनन क्षेत्र डूबा हुआ था परन्तु जनवरी 2016 की गूगल ईमेज में रेत उपब्धता प्रदर्शित हो रहीं है, विगत 03 वर्षो में रेत खनन शून्य रहा है एवं विगत 02 से 03 वर्षो में ई.सी भी जारी नहीं हुई थी। ख**निज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 15,000 घन मी. की मात्रा की मांग की गई है जिसमें समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा यह पाया गया कि उपलब्ध खनन क्षेत्र से तथा सीमित समयावधि में इस खदान से अधिकतम 10,000 घन मी. प्रतिवर्ष रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता है। तदानुसार अधिकतम 10,000 घन मी. प्रतिवर्ष रेत उत्खनन की अनुशंसा की जाती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.22 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, मेलपिप्लिया के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	20,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	3216
2	ग्राम मेलपिप्लिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1584

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

23. <u>Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत आंक्षास–देंशांश की जानकारी में त्रुटि पाई। अतः यह निर्णय लिया था कि खदान क्षेत्र के वास्तविक अंक्षास–देंशांश ज्ञात कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें एवं उसी क्रम में डी.एस.आर. में भी आवश्यक संशोधन कर डी.एस.आर. को जिला समिति से अनुमोदन पश्चात् प्रस्तुत किया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 27/12/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास के पत्र क्रमांक 2407 दिनांक 07/12/2023 द्वारा खदान क्षेत्र के संशोधित अक्षांस और देशांस प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर ने अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में डिया से पत्र क्रमांक 104 दिनांक 06/11/2016 को ई.सी जारी हुई थी एवं सिया के प्रकरण क्र. 7693/2020 दिनांक 22/10/2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमति लीज अंतरण हुई थी। समिति द्वारा खदान के संबंध में प्राप्त श्री प्रमोद यादव की शिकायत का भी संज्ञान लिया गया जो तत्वहिन पाई गई। **समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा इस खदान से अधिकतम 50,000 घन मी. प्रतिवर्ष रेत उत्खनन की अनुशंसा की जाती है।**

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.19 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.43 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.55 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, पिपलनेरिया के पालक शिक्षक संघ में	30,000

धन राशि जमा कराई जाएगी ।	
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, पिपलनेरिया के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	25,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	5043
2	ग्राम पिपलनेरिया के ग्रामवासियों में वितरण	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	957

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

24. <u>Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)</u>

705वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित गूगल ईमेज की प्रति संलग्न की है एवं अवगत कराया कि खनन योजना के अनुसार 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई–जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 212/2018 दिनांक 14/08/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल इमेज के आधार पर 106 मीटर लम्बी जल संरचना है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 **के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 1.0 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परन्तु समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया का केस नं. 212/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई थी किंतु विगत 3 वर्षो में उत्पादन निरंक है।

- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (सुरजाना) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है।
- गूगल टाईम लाईन इमेज के अवलोकन से लीज क्षेत्र के कई हिस्सों में रेत उपलब्ध रहती है अतः शिकायत सही प्रतीत नहीं होती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 27/12/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास के पत्र क्रमांक 2023 दिनांक 16/10/2023 द्वारा खदान क्षेत्र के संशोधित अक्षांस और देशांस प्रस्तुत किये गये।

समिति द्वारा खदान के संबंध में प्राप्त श्री प्रमोद यादव की शिकायत का भी संज्ञान लिया गया । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर ने अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के समीप स्थित स्टाप डेम की सुरक्षा के संबंध मे **कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक 2041 के द्वारा अपना अभिमत देते हुये उल्लेख किया कि गूगल ईमेज के द्वारा दर्शित स्टाप डेम से 150 मीटर दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित रखा जायें ताकि संरचना व उसकी नींव को किसी प्रकार की क्षति न होने पायें, अव्यवस्था की स्थिति निर्मित में, विभाग के हित में नियमानुसार कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्टाप डेम से 150 मीटर दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित करने पर 0.79 हे. रेत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2350 घन मी. की मांग की गई है अतः समिति द्वारा उक्त रेत की मात्रा अर्थात 2350 घन मी. की अनुशंसा करती है।

विशेष शर्त :–

स्टाप डेम से 150 मीटर दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित करने पर उपलब्ध मात्र 0.79 हे. क्षेत्र में ही रेत खनन कार्य किया जा सकेगा।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.33 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.10 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय, सुरजना, पीरपाड़ल्या के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	6,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम सुरजना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

25. <u>Case No 10324/2023</u> <u>Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-1, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि विगत 3 वर्षो में रेत खनन म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में मात्रा 0.1 घनमीटर, वर्ष 2021–22 में मात्रा 16400 घनमीटर एवं वर्ष 2022–23 में मात्रा 0 घनमीटर है। मई–जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है।

- योजना के अनुसार 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई–जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 7691/2020 दिनांक 22/10/2020 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।
- गूगल इमेज अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया है अतः रेत खनन संभव नही है ।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (भांजाखेडी–1) के संबंध मे शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी मे सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नही है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज मे लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया। अतः शिकायत सही प्रतीत होती है।

अतः स्पष्ट है कि इस बात का निर्धारण किया जाना कि मई–जून में खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति में अनुशंसा नहीं की जा सकती। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है,जो समिति की आज दिनांक 27/12/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, ऑनलाईन मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गणेश विश्वकर्मा, खनिज निरिक्षक परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म, म.प्र. इंदौर के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 24/11/2023 के द्वारा ग्राम मेलपिपल्या एवं ग्राम भांजाखेडी–1, तह. खातेगांव का 24/11/2023 को स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा खदान के संबंध में प्राप्त श्री प्रमोद यादव की शिकायत का भी संज्ञान लिया गया । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज का समिति द्वारा अवलोकन किया गया ख**निज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 8,200 घन मी. की मात्रा की मांग की गई है जिसमें समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 7,500 रेत मात्रा की अनुशंसा की जाती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.50 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.16 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय, भांजाखेडी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	12,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 984 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	883
2	ग्राम भांजाखेडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	101

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।